सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

आषाढ़ 09, शुक्रवार, *शाके* 1945-जून 30, 2023
Asadha 09, Friday , Saka 1945- June 30, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 23, 2023

संख्या एफ.27(क)(11)गृह-2/2021:-राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 14) की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस जिला जीआरपी अजमेर के वृत्त निर्धारण की पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए जिला जीआरपी अजमेर के वृत्तों का कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण निम्नानुसार करती हैः-

क्र.सं.	वृत्त का नाम	वर्तमान में वृत्त के अन्तर्गत आने वाले थानों का नाम	क्र.सं.	वृत्त का नाम	पुनः निर्धारण के बाद वृत्त के अन्तर्गत आने वाले थानों के नाम
1	अजमेर	1. जीआरपी थाना अजमेर	1	अजमेर	1. जीआरपी थाना अजमेर 2. जीआरपी थाना चित्तौडगढ (नव सम्मिलित) 3. जीआरपी थाना फुलेरा (नव सम्मिलित)
2	जयपुर	1. जीआरपी थाना जयपुर 2. जीआरपी थाना बांदीकुई 3. जीआरपी थाना सीकर 4. जीआरपी थाना फुलेरा 5. जीआरपी थाना अलवर 6. जीआरपी थाना नीमकाथाना	2	जयपुर	1. जीआरपी थाना जयपुर 2. जीआरपी थाना बांदीकुई 3. जीआरपी थाना सीकर 4. जीआरपी थाना अलवर 5. जीआरपी थाना नीमकाथाना
3	कोटा	1. जीआरपी थाना कोटा 2. जीआरपी थाना सवाईमाधोपुर 3. जीआरपी थाना भरतपुर 4. जीआरपी थाना गंगापुर	3	कोटा	1. जीआरपी थाना कोटा 2. जीआरपी थाना सवाईमाधोपुर 3. जीआरपी थाना भरतपुर

		सिटी			4. जीआरपी थाना गंगापुर सिटी
4	उदयपुर	1. जीआरपी थाना उदयपुर 2. जीआरपी थाना डूंगरपुर 3 जीआरपी थाना मावली 4. जीआरपी थाना चित्तौडगढ	4	उदयपुर	1. जीआरपी थाना उदयपुर 2. जीआरपी थाना डूंगरपुर 3. आरपी थाना मावली

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

जगवीर सिंह,

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।